संख्या-4/68/38-4-15-07(बजट)/14

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0 लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2015

विषय:- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 की वर्ष-2013-14 के अधूरे आवासों को वित्तीय वर्ष-2014-15 के बजट से पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी0ओ0-127/सम्प्रेक्षा/2013-14, दिनांक-19 दिसम्बर,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 की वर्ष-2013-14 के अधूरे आवासों को वित्तीय वर्ष-2014-15 के बजट से पूर्ण करने हेतु बजट में प्राविधानित धनराशि में से **रू0-2140.95** लाख (रूपये इक्कीस करोड़ चालीस लाख पन्चानबे हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति दिये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि को बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखी जायेगी तथा 03 माह के अन्दर निश्चित रूप से व्यय कर ली जायेगी ।

2- स्वीकृत धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05 (बजट)/2012 दिनांक 20-02-2013 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी । साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28-03-2013 में प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- पी0एल0ए0 में रखी धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

4- उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची मुख्य विकास अधिकारी/ जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

5- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी ।

http://shasnadesh.up.nic.in

6- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

7- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

2--

-2-

8- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-05- लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय पत्र संख्या-ई-2-50/दस-2015,दिनांक 28 जनवरी,2015 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।

संख्या- 4 /68(1)/38-4-15 तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी ।
3- अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
4- सम्बन्धित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, लखनऊ ।
5- परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, लखनऊ ।
6- कोषाधिकारी, जिला कोषागार, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
9- ग्राम्य विकास अनुभाग-3
10- गार्डबुक ।

http://shashanadesh.up.nic.in

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव ।

http://shashanadesh.up.nic.in